रघुरामन राजन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला

डॉ. रघुरामन राजन ने प्रभावशाली घोषणाओं के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में पद भार ग्रहण कर लिया ।

बाजार बंद होने के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ. राजन ने सात पृष्ठ का वक्तव्य जारी करते हुए एक सुदृढ़, सुधारवादी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने अनेक उपायों की घोषणा की जिनसे बाजारों, बैंकों, कंपनियों और परिवारों में खुशहाली बढ़ने की उम्मीद जगती है।

श्री राजन ने अनेक सुधारों का हवाला दिया, जिनमें से ज्यादातर ''रुपये के मूल्य की संरक्षा'' से संबंधित थे। उनकी प्रारंभिक टिप्पणियां केन्द्रीय बैंक के लिए एक नई व्यवस्था कायम करने वाली लगती हैं : ''भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा परम्पराओं में हम दो अन्य परंपराओं : **पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता** पर विशेष बल देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कार्यों से बाजारों को कभी आश्चर्यचकित नहीं करेंगे।''

नए गवर्नर ने नए बैंक लाइसेंस देने की प्रक्रिया से अनिश्चितताएं दूर करते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति आवेदनों की जांच करेगी और जनवरी 2014 में लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।

राजन ने मौद्रिक नीति की मध्यावधि समीक्षा को दो दिन आगे बढ़ाते हुए 20 सितम्बर तक स्थगित कर दिया। अमरीका की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक 17–18 सितम्बर को होने जा रही है। इससे यह पता चलने की उम्मीद है कि अमरीकी फेडरल अपनी प्रोत्साहन योजनाओं (स्टिमुलस प्रोग्राम) में कब से कमी लाना शुरू करेगा। अमरीकी सेंट्रल बैंक का यह कदम भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के भविष्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।

राजन ने समितियों की भी घोषणा की। इनमें एक समिति रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उरिजीत पटेल की अध्यक्षता में बनाई गयी है जो मौद्रिक नीति के पूरे ढांचे की समीक्षा करेगी। दो समितियां खराब और पुनः संरचित ऋणों और उनकी वसूली से संबद्ध हैं। एक अन्य समिति आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व बोर्ड सदस्य और वर्तमान में आरबीआई बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन के बारे में बनाई गयी।

ब्रांच लाइसेंसिंग को मुक्त बनाना श्री राजन द्वारा घोषित अन्य महत्वपूर्ण सुधार हैं। वर्तमान में बैंकों को टियर –1 केन्द्रों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर को छोड़कर एक लाख से अधिक आबादी वाले) में शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। टियर– 2 और टियर –4 कस्बों में रिर्पोटिंग के अधीन बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। किंतु, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे 25 प्रतिशत शाखाएं ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों (टियर –5 और 6) में खोलेंगे जहां बैंकों की शाखाएं नहीं हैं।

उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने और 'सुस्त बैंकिंग' में कमी लाने के लिए राजन ने सुझाव दिया कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कम कर देना चाहिए। वर्तमान में बैंकों को अपनी मांग और समय देयताओं का 23 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना पड़ता है।

गठित की गई समितियों का ब्यौरा

- बैंक लाइसेंसों की जांच–पड़ताल के लिए बिमल जालान की अध्यक्षता में बनायी गई बाहरी समिति, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जनवरी, 2013 में नए बैंकों के लाइसेंस जारी कर दिए जाने की संभावनाएं हैं।
- रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उरजीत पटेल की अध्यक्षता में अनिवार्य नीति फ्रेमवर्क में सुधार हेतु समिति।
- वित्तीय समावेशन के कार्य को गति देने हेतु नचिकेत मोर की अध्यक्षता में समिति।
- रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के. सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित समिति जो बैंकों के बढ़ती गैर–उत्पादक परिसंपत्तियों एवं पुनर्संरचना/वसूली प्रक्रिया की देखरेख करेगी।
- रिजर्व बैंक के डिप्टी गनर्वर आनंद सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति जो ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और परिसंपत्ति निर्माण कंपनियों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी।
- तकनीकी समिति जो एसएमएस आधारित निधि अंतरण प्रणाली की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।

विभिन्न उपायों की घोषणा :

- मध्य–तिमाही मुद्रानीति समीक्षा 20 सितम्बर तक स्थगित की गयी।
- बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी नहीं लेनी होगी (कुछ शर्तों के अधीन)।
- बैंकों की न्यूनतम जी–सेक्टर निवेश की शर्त धीरे–धीरे हटाई जाएगी।
- पुनः बुक किए गए निरस्त अग्रिम अनुबंधों के मामले में निर्यातकों की सीमा (वर्तमान 25 प्रतिशत से) बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गयी।
- आयातकों को निरस्त अगाऊ अनुबंधों का 25 प्रतिशत पुनः बुक करने की छूट दी गयी।
- 10 वर्ष की भावी अवधि के लिए ब्याज दर अनुमान प्रारंभ किए गए।
- ओवरनाइट ब्याज दर के बारे में ब्याज दर अनुमानों का अध्ययन।
- एफसीएनआर (बी) जमा राशियां स्वैप करने के लिए विशेष रियायत विन्डो।
- बैंक की विदेश ऋण सीमा अबाधित टियर–1 पूंजी के शतप्रतिशत (50प्रतिशत से) तक बढ़ाई गयी।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई–बचत प्रमाणपत्र शुरू करने की घोषणा की गयी।